न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

दाखिल खारिज रीवीजन वाद संख्या – **45R15/04-05**

DCTR No 23R15/2008-09

ACTR No 22R15/2015

लग्नु सिंह एवं अन्य –आवेदकगण

बनाम्

मधुसूदन सिंह एवं अन्य – विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत रिविजन आवेदन दिनांक–01.09.2004 को लग्नु सिंह पिता हिन्दू सिंह, ग्राम–तुम्बाकेल, थाना–रनियाँ, जिला–राँची वर्तमान जिला–खूँटी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–03/01–02 में दिनाक–05.07.2004 को परित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। तत्कालीन उपायुक्त राँची द्वारा दिनांक–07.10.2004 को वाद अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु Admit (दाखिल) करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गयी तथा विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्ष दिनांक–21.07.2015 से अबतक न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं जिससे प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को उक्त वाद में कोई रूची नहीं है।

अतः उभय पक्षों के रूची नही लेने के कारण चल रहे वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

26/11/20

उपायुक्त,
खूँटी।

26/11/20

उपायुक्त,
खूँटी।